ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.15 से 31.03.18

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरजीत कुमार	01.04.15 से 22.01.16
2	श्रीमति लता देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री संजीव कुमार	01.04.15 से 31.12.17
2	श्री त्रिलोक नाथ	01.01.18 से 31.03.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पंचरुखी के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में भारी अन्तर पाया जाना	3.92
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.19

3	6	अनुदान का उपयोग न करना	9.78
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.96
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	4.87
6	9	निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के के कारण अधिक भुगतान	0.16
7	10	बजट प्रावधान के बिना सभा निधि से अनियमित भुगतान	0.40
8	11	प्रिंटर एवं लैपटाप के क्रय के रूप में अनियमित व्यय	0.52
9	13	66 बैग सीमेंट का संभावित दुरुपयोग	0.17

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.06.18 से 04.07.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	12/2015	09/2015
2016-17	02/2017	03/2017
2017-18	03/2018	02/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 202 दिनांक 04.07.18 द्वारा अनुरोध किया गया,

जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 815099 (KCCB) दिनांक 12.07.18 ₹7000 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सुंगल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत सुंगल, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की स्व: स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015-16	354227.50	17211	371438.50	33942	337496.50
2016-17	337496.50	46141	383637.50	52366	331271.50
2017-18	331271.50	42516	373787.50	189597	184190.50

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत सुंगल, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015-16	144900	1679769	1824669	761400	1063269
2016-17	1063269	2399416	3462685	2625188	837497
2017-18	837497	3241924	4079421	3101884	977537

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹184190.50

अनुदान :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 977537

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.18 को कुल अन्तिम शेष : ₹1161727.50

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1554153

दिनांक 31.03.18 को हस्तगत राशि : -

अन्तर : ₹392425

बैंक खाता संख्या	राशि

	(₹)
GEN-A, KCCB- 20141006659	186331.50
14TH FC, KCCB-50057384409	1265499.61
VKVNY, KCCB-50057381362	102322.00
कुल राशि	**₹1554153.11**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹3.92 लाख का भारी अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹392425 का भारी अन्तर पाया गया । जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203 दिनांक 04.07.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 40 दिनांक 04.07.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर की ₹392425 बारे जांच उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा । अतः अतिशीघ्र उक्त अन्तर का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

4.2 जांच में पाया कि पंचायत की रोकड़ वहियाँ दिनांक 31.03.18 को पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसे शीघ्र सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.3 सचिव तथा प्रधान द्वारा अपने नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करना :-

सामान्य रोकड़ वही तथा बैंक पास बुकों की जांच करने पर पाया गया कि अधिकतर मामलों में सचिव तथा प्रधान द्वारा विभिन्न खर्चों के भुगतान के लिए अपने नाम से चैक द्वारा आहरित करके विभिन्न फर्मों एवं मजदूरों को भुगतान की गई थी जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार अनुचित है क्योंकि उक्त नियमानुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है । अतः सचिव तथा प्रधान के नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करने के मामलों बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार

नहीं किया जा सकता है। प्रधान व सचिव द्वारा इस प्रकार की गई आहरित राशि के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	चैक संख्या / दिनांक	प्रधान/सचिव का नाम	आहरित राशि (₹)
GEN-A, KCCB-20141006659	327695 / 31.03.16	श्री मनबीर सिंह (उप-प्रधान)	12750.00
-do-	929760 / 05.10.16	श्री संजीव कुमार (सचिव)	39000 .00
-do-	323008 / 21.03.17	श्रीमति लता देवी (प्रधान)	40200.00

5 पंचायत राजस्व ₹0 . 19 लाख की वसूली हेतु शेषः-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर फीस एवं विवाह पंजीकरण फीस के रूप में दिनांक 31.3.18 को निम्न विवरणानुसार वसूली हेतु ₹19170 वसूली हेतुशेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें।

1 **गृहकर :**

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की मांग(₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	3480	14400	17880	2790	15090
2016-17	15090	24000	39090	33010	6080
2017-18	6080	25500	31580	20000	11580

1. भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2015-16 से 2017-18 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

2. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹3800 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से

वसूल की जानी अपेक्षित है । जांच में पाया कि माह 11/2016 से 12/2017 तक निम्न विवरणानुसार ₹3800 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	वसूली योग्य पंजीकरण राशि(₹)
13 (2016)	श्री अजय कुमार	03.11.16	28.11.16	200/-
14	श्री पंकज	12.12.16	19.12.16	200/-
15	श्री राहुल कुमार	03.12.16	20.12.16	200/-
1 (2017)	श्री आशीष गोदिया	16.01.17	20.01.17	200/-
3	श्री मनु कुमार	05.02.17	17.02.17	200/-
4	श्री अनिल कुमार	02.02.17	21.02.17	200/-
5	श्री सन्नी ठाकुर	04.02.17	27.02.17	200/-
6	श्री दीपक कटोच	14.02.17	27.02.17	200/-
7	श्री विशन दास	17.02.17	01.03.17	200/-
8	श्री सुनीत कुमार	19.04.17	03.05.17	200/-
9	श्री नितिन कुमार	18.04.17	22.05.17	400/-
10	श्री नव जीवन	07.05.17	10.07.17	400/-
11	श्री कृष्ण कुमार	28.04.17	10.07.17	400/-
12	श्री अजय	05.02.18	15.02.18	200/-
13	श्री अजय कुमार	09.12.17	12.01.18	400/-
		कुल राशि		**₹3800/-**

6 अनुदान ₹9.78 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-1**) के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹977537 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.96 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें

इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹295696 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹4.87 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 487466 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप ₹0 . 16 लाख का अधिक भुगतान :-

जांच में पाया कि वर्ष 2017-18 में निर्माण सामग्री के क्रय हेतु प्रस्ताव संख्या-4 दिनांक 31.08.17 द्वारा निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई थी :-

सामग्री का नाम	M/s Suresh Kumar	M/s Madho Ram	M/s Shiv Kumar	M/s Rana Construction	M/s Gantantar Thakur
Agg. Crusher	38/- per cft	38.5/- per cft	37.5/-per cft	38/- per cft	37/-per cft
Boulder	32/- per cft	33/- per cft	36/- per cft	35/- per cft	34/- per cft
Bricks	6/- per piece	6/- per piece	-	-	6/- per piece

(i) वर्ष 2017-18 के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि निम्नलिखित सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर किया गया था, जिसके फलस्वरूप पंचायत को ₹8180 की हानि हुई थी। जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203 दिनांक 04.07.18

द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 40 दिनांक 04.07.18 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाये । अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	**वाउचर संख्या**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण एवं भुगतान की गई राशि (₹)**	**अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान योग्य राशि (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
	14th FC				
1	12 दिनांक 21.08.17	Bill No. 197 Dated 21.08.17, M/s Suresh Kumar	Aggr.Crusher 65 CFT @ ₹38/-P.CFT	Aggr.Crusher 65 CFT @ ₹37/-P.CFT	65
2	14 दिनांक 05.09.17	Bill No. 178 Dated 05.09.17, M/s Suresh Kumar	Aggr.Crusher 280 CFT @ ₹38/-P.CFT	Aggr.Crusher 280 CFT @ ₹37/-P.CFT	280
3	18 दिनांक 05.09.17	Bill No. 198 Dated 05.09.17, M/s Suresh Kumar	Aggr.Bricks 250 @ ₹7/-P.Bricks Crusher 20 CFT @ ₹38/-P.CFT	Aggr.Bricks 250 @ ₹6/-P.Bricks Crusher 20 CFT @ ₹37/-P.CFT	250/- 20/-
4	22 दिनांक 20.09.17	Bill No. 016 Dated 20.09.17, M/s Suresh Kumar	Aggr.Crusher 340 CFT @ ₹38/-P.CFT	Aggr.Crusher 340 CFT @ ₹37/-P.CFT	340/-
5	24 दिनांक 04.10.17	Bill No. 010 Dated 04.10.17, M/s Suresh Kumar	Aggr.Crusher 300 CFT @ ₹38/-P.CFT	Aggr.Crusher 300 CFT @ ₹ 37/-P.CFT	300/-
6	27 दिनांक 04.10.17	Bill No. 007 Dated 04.10.17, M/s Suresh Kumar	Aggr.Crusher 300 CFT @ ₹38/-P.CFT	Aggr.Crusher 300 CFT @ ₹37/-P.CFT	300/-
7	30 दिनांक 04.10.17	Bill No. 008 Dated 04.10.17, M/s Suresh Kumar	Aggr.Crusher 250 CFT @ ₹38/-P.CFT	Aggr.Crusher 250 CFT @ ₹ 37/-P.CFT	250/-
8	33 दिनांक 04.10.17	Bill No. 14 Dated 04.10.17, M/s Suresh Kumar	Bricks 900 @ ₹7/-P.Bricks Loading & Unloading ₹500/-	Bricks 900 @ ₹6/-P.Bricks -	900/- 500/-
9	42	Bill No. 025	Crusher 230	Crusher 230	230/-

	दिनांक 20.11.17	Dated 20.11.17, M/s Suresh Kumar	CFT @ ₹38/-P.CFT	CFT @ ₹ 37/-P.CFT	
10	45 दिनांक 05.12.17	Bill No. 024 Dated 05.12.17, M/s Suresh Kumar	Bricks 200 @ ` 7/-P.Bricks Crusher 35 CFT @ ` 38/-P.CFT	Bricks 200 @ `6 /-P.Bricks Crusher 35 CFT @ ` 37/-P.CFT	200/- 35/-
11	51 दिनांक 20.12.17	Bill No. 046 Dated 20.12.17, M/s Suresh Kumar	Crusher 95 CFT @ ` 38/-P.CFT	Crusher 95 CFT @ ` 37/-P.CFT	95/-
12	55 दिनांक 01.01.18	Bill No. 042 Dated 01.01.18, M/s Suresh Kumar	Crusher 580 CFT @ ` 38 /-P.CFT	Crusher 580 CFT @ ` 37/-P.CFT	580/-
13	71 दिनांक 07.03.18	Bill No. 068 Dated 07.03.18, M/s Suresh Kumar	Crusher 200 CFT @ ` 38 /-P.CFT	Crusher 200 CFT @ ` 37/-P.CFT	200/-
14	74 दिनांक 29.03.18	Bill No. 080 Dated 29.03.18, M/s Suresh Kumar	Crusher 285 CFT @ ` 38 /-P.CFT	Crusher 285 CFT @ ` 37/-P.CFT	285/-
	Planning Head				
15	15 दिनांक 14.10.17	Bill No. 013 Dated 14.10.17, M/s Suresh Kumar	Crusher 400 CFT @ ` 38 /-P.CFT	Crusher 400 CFT @ ` 37/-P.CFT	400/-
16	27 दिनांक 20.11.17	Bill No. 014 Dated 20.11.17, M/s Suresh Kumar	Crusher 500 CFT @ ` 38 /-P.CFT	Crusher 500 CFT @ ` 37/-P.CFT	500/-
17	28 दिनांक 20.11.17	Bill No. 021 Dated 20.11.17, M/s Suresh Kumar	Crusher 640 CFT @ ` 38 /-P.CFT Boulder 250 CFT @ ` 33 /-P.CFT	Crusher 640 CFT @ ` 37/-P.CFT Boulder 250 CFT @ ` 32/-P.CFT	640/- 250/-
18	43 दिनांक 20.11.17	Bill No. 055 Dated 20.11.17, M/s Suresh Kumar	Bricks 1500 @ ` 7/-P.Bricks Crusher 60 CFT @ ` 38/-P.CFT	Bricks 1500 @ `8 /-P.Bricks Crusher 60 CFT @ ` 37/-P.CFT	1500/- 60/-
	कुल अधिक भुगतान राशि				**8180/-**

(ii) जांच में पाया कि मनरेगा में वर्ष 2017-18 की अनुमोदित दरों पर वर्ष 2018-19 में भी पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सामग्री का क्रय किया गया था एवं निम्न-विवरणानुसार सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203 दिनांक 04.07.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 40 दिनांक 04.07.18 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । अधिक भुगतान की गई ₹8154 का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण एवं भुगतान की गई राशि (₹)**	**अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान योग्य राशि (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
	Manrega				
1	C/o Cowshed Dhundu Ram	Bill No. 5 Dated 21.05.18, M/s Suresh Kumar	Bricks 1445 @ `7 /- P.Bricks	Bricks 1445 @ `6 /- P.Bricks	1445/-
2	C/o Cowshed Jondu Ram	Bill No. 7 Dated 21.05.18, M/s Suresh Kumar	Bricks 1642 @ `7 /- P.Bricks	Bricks 1642 @ `6 /- P.Bricks	1642-
3	C/o Cowshed Mohan Chand	Bill No. 6 Dated 21.05.18, M/s Suresh Kumar	Bricks 1642 @ `7 /- P.Bricks	Bricks 1642 @ `6 /- P.Bricks	1642-
4	C/o Cowshed Chakar Ram	Bill No. 2 Dated 21.05.18, M/s Suresh Kumar	Bricks 1425 @ `7 /- P.Bricks	Bricks 1425 @ `6 /- P.Bricks	1425-
5	C/o Cowshed Ramesh Chand	Bill No. 8 Dated 30.05.18, M/s Suresh Kumar	Bricks 2000 @ `7 /- P.Bricks	Bricks 2000 @ `6 /- P.Bricks	2000/-
	कुल अधिक भुगतान राशि				**8154/-**

अतः उक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान की गई ₹16334 की वसूली उचित से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

10 बजट प्रावधान के बिना सभा निधि से ₹0.40 लाख का अनियमित भुगतानः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में फर्नीचर के क्रय हेतु प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा ₹25000 का बजट प्रावधान रखा गया था एवं इस प्रावधान के अन्तर्गत फर्नीचर का क्रय वाउचर संख्या 21 दिनांक 04.10.17 में कर लिया गया था । लेकिन जांच में पाया कि वाउचर संख्या 44 दिनांक 22.02.18 में मैसर्ज सोल्यूशंस से बिल संख्या 00262 दिनांक 22.02.18 द्वारा ₹40710/- के फर्नीचर का क्रय बजट प्रावधान के बिना ही किया गया था। अतः इस प्रकार पंचायत द्वारा उक्त फर्नीचर पर किया गया अनियमित था । जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203 दिनांक 04.07.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 40 दिनांक 04.07.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता की वास्तविक स्थिति से बाद में अवगत करवा दिया जायेगा। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये उक्त व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त नियमित करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त क्रय में किए गए कुल व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

11 प्रिंटर एवं लैपटाप के क्रय के लिए ₹0 . 52 लाख का अनियमित व्यय :-

वाउचर संख्या 68 दिनांक 22.02.18 (14th FC) की जांच में पाया कि मैसर्ज कॉसमॉस इलेक्ट्रॉनिक्स को लैपटाप (Dell) एवं प्रिंटर (Canon Laserjet) की आपूर्ति करने के एवज में ₹51500 का भुगतान किया गया था, लेकिन भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 6 में पहले से एक लैपटाप एवं प्रिंटर दर्ज था जो कि विभाग द्वारा पंचायत को उपलब्ध करवाया गया था एवं Cartridge न होने के कारण प्रयोग नहीं किया जा रहा था । Cartridge उपलब्ध न होने के कारण नया प्रिंटर क्रय करना सही प्रतीत नहीं होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में इस प्रकार के अनियमित व्यय न किये जायें ।

12 कार्यालय व्यय शीर्ष के अन्तर्गत ₹0 . 04 लाख का अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्या 112 दिनांक 20.03.17 (General Cash Book) की जांच में पाया कि बिल संख्या 178 दिनांक 18.03.17 द्वारा मैसर्ज किशोरी लाल एंड सन्स से ₹4160 में कुक्कर, कढ़ाई एवं गिलास इत्यादि का क्रय कार्यालय व्यय शीर्ष से किया गया था जोकि सही प्रतीत

नहीं होता है । अतः उक्त व्यय को कार्यालय व्यय के लिए आबंटित राशि से करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹4160 की वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार के अनियमित व्यय न किये जायें ।

13 66 बैग सीमेंटमूल्य ₹0.17 लाख के संभावित दुरुपयोग बारे :-

मनरेगा के सीमेंट भण्डार रजिस्टर के अवलोकन में पाया कि दिनांक 15.09.15 को 170 बैग सीमेंट ₹265 प्रति बैग की दर से क्रय किए गए थे एवं इनका इन्द्राज भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 75 में किया गया था । जांच में पाया कि उक्त सीमेंट में से 104 बैग सीमेंट का प्रयोग दिनांक 20.09.15 को कर लिया गया था एवं शेष 66 बैग सीमेंट शेष थे। इसके पश्चात मनरेगा के विभिन्न कार्यों हेतु सीमेंट का क्रय किया गया था लेकिन उक्त 66 बैग सीमेंट को भण्डार में ही रहने दिया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

दिनांक	आरंभिक शेष	क्रय	सीमेंट की प्रयोग मात्रा	सीमेंट की अन्तिम शेष मात्रा
01.04.16	66 बैग	-	-	66 बैग
23.09.16	66 बैग	48 बैग	48 बैग	66 बैग
21.11.16	66 बैग	100 बैग	100 बैग	66 बैग
21.12.16	66 बैग	80 बैग	80 बैग	66 बैग
01.01.17	66 बैग	-	-	66 बैग

इसके पश्चात दिनांक 01.01.17 को उक्त 66 बैग सीमेंट 14वें वित्त आयोग के भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 4 में हस्तांतरित कर दिये गए थे । जांच में पाया कि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 12 में दिनांक 04.10.17 तक सीमेंट के उक्त 66 बैग सीमेंट का शेष था, जिसका प्रयोग दिनांक 07.10.17 को निर्माण कार्य "नि. जीप योग्य सड़क रविन्द्र के घर से रत्न चन्द के घर की ओर" हेतु किया गया था ।

उक्त 66 बैग सीमेंट के भण्डार शेष की मात्रा के सन्दर्भ में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

1. जब मनरेगा के भण्डार रजिस्टर में दिनांक 20.09.15 को 66 बैग सीमेंट के शेष थे तो इसके पश्चात उक्त विवरणानुसार मनरेगा के अन्य कार्यों हेतु अतिरिक्त सीमेंट क्रय करने का क्या औचित्य था ।

2. उक्त 66 बैग सीमेंट की मात्रा का क्रय दिनांक 15.09.15 को किया गया था जबकि इसका प्रयोग दिनांक 07.10.17 को 14वें वित्त आयोग के कार्य "नि. जीप योग्य सड़क रविन्द्र के घर से रत्न चन्द के घर की ओर" में किया गया था । अर्थात सीमेंट क्रय करने के 2 वर्ष पश्चात प्रयोग किया गया था जोकि सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इतनी लम्बी अवधि में सीमेंट की

गुणवत्ता सही नहीं रह सकती । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सीमेंट के शेष को खारिज करने हेतु ऐसा किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 66 बैग सीमेंट के मूल्य ₹17490 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

3. 14वें वित्त आयोग के भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 12 की जांच में पाया कि 66 बैग सीमेंट का प्रयोग कार्य "नि. जीप योग्य सड़क रविन्द्र के घर से रत्न चन्द के घर की ओर" में किया गया था, जोकि सीमेंट की गुणवत्ता सही न होने के कारण कार्य के निष्पादन के प्रति संदेह पैदा करता है । अतः एक कमेटी गठित करके अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में उक्त कार्य का निष्पादन किया गया था या नहीं और अगर वास्तव में कार्य का निष्पादन किया गया था तो उक्त कार्य हेतु सीमेंट का स्त्रौत क्या था । अन्यथा उक्त कार्य के निष्पादन पर व्यय कुल राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

उक्त अनियमितता की सूचना अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 203 दिनांक 04.07.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 40 दिनांक 04.07.18 द्वारा दी गई सूचना अभिलेखों / भण्डार रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर सही नहीं था । अतः उक्त अनिमित्ताओं का स्पष्टीकरण तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

14 पंचायत की अधिशेष (Surplus) निधि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अधिशेष निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

15 खाता वहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2015-16 से 2017-18 में खाता वहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के

अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता वहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. मनरेगा का सीमेंट भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
6. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना।
7. मोबाइल टावर फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना।

17 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :-

पंचायत द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गए तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया था परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था। अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें।

19 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

20 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)218/2018 खण्ड–1–7928–7931 दिनांक 27.11.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सुगंल, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881